डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 01/2026-27 के मुखपृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों के पृष्ठ 1, 2, 3, 287, 288, और 289 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/बीआईएएल/बैंगलोर/सीपी-IV/2025-26
परामर्श पत्र संख्या 01/2026-27

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

कैम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरु (बीएलआर) के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि (01.04.2026–31.03.2031) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 12 जून , 2026

तृतीय तल,
उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली - 110003

हितधारकों की टिप्पणियां

कैंम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (केआईए), बेंगलुरु ऐरा (संशोधन) अधिनियम 2019 और 2021 के साथ पठित- 'भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (ऐरा अधिनियम)' की धारा 2(i) के अंतर्गत इसकी प्रतिवर्ष की यात्रियों की संख्या के आधार पर एक प्रमुख हवाईअड्डा है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान इस हवाईअड्डे से **प्रति वर्ष 44.47 लाख यात्रियों (एमपीपीए)** का आवागमन हुआ और हवाई यातायात में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, जो भारत के नागर विमानन नेटवर्क में इसके कार्यनीतिक महत्व को साबित करता है।

केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बेंगलुरु का विकास भारत सरकार की उस नीतिगत पहल का परिणाम है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से हवाईअड्डों की अवसंरचना के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस नीति की रूपरेखा के अनुसरण में बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जिसे आगे **"बीआईएएल" या "हवाईअड्डा प्रचालक"** कहा जाएगा) को जनवरी 2001 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसवीपी) के रूप में निगमित किया गया था। इसका उद्देश्य देवनहल्ली, बैंगलुरु में एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे का विकास, डिज़ाइन, वित्त, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव करना था।

हवाईअड्डे के विकास और प्रचालन के लिए भारत सरकार और बीआईएएल के बीच 5 जुलाई 2004 को रियायत करार किया गया था। इसके बाद, 24 मई 2008 को हवाईअड्डे पर वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ हुए और तब से यह देश के प्रमुख विमानन का प्रवेश-द्वार (गेटवे) में से एक बन गया है।

ऐरा अधिनियम, 2008 के प्रावधानों और रियायत करार की लागू शर्तों के अनुसार, बीआईएएल ने चतुर्थ नियंत्रण अवधि (2026 - 2031) के लिए वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ़ निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण के समक्ष अपना बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत किया। इस एमवाईटीपी में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और वित्त वर्ष 2026 के अलेखापरीक्षित वास्तविक आंकड़ों के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि का ट्रू-अप;

ii. 01 अप्रैल, 2026 से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2031 को समाप्त चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए पूर्वानुमान

इन प्रस्तुतियों में चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के आधार के रूप में यातायात पूर्वानुमान, पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), प्रचालन व्यय (ओपेक्स), गैर-वैमानिक राजस्व (एनएआर) और अन्य संबंधित पैरामीटरों के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है।

प्रारंभिक प्रस्तुति के बाद, बीआईएएल ने **3 जून 2026** तक अलग-अलग पत्रों के माध्यम से संशोधित वित्तीय मॉडल, अतिरिक्त जानकारी और अद्यतन प्रस्तुतियां उपलब्ध की। इस परामर्श पत्र में निहित विश्लेषण और मूल्यांकन, हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा उपलब्ध की गई ऐसी संशोधित प्रस्तुतियों और अद्यतन वित्तीय गणनाओं पर आधारित हैं।

इस परामर्श पत्र को तैयार करते समय, प्राधिकरण ने बीआईएएल द्वारा प्रस्तुत एमवाईटीपी प्रस्तुतियों और सहायक दस्तावेज़ों की विस्तृत जाँच की। इस मूल्यांकन में तृतीय नियंत्रण अवधि से जुड़े लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की जाँच-पड़ताल भी शामिल है। इस परामर्श पत्र को तैयार करने के प्रयोजन से बीआईएएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपलब्ध किए गए अलेखापरीक्षित वास्तविक वित्तीय आंकड़ों पर भी भरोसा किया गया।

तदनुसार प्राधिकरण ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के संबंध में चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के कार्य के भाग के रूप में अपने प्रस्ताव निर्धारित कर यह परामर्श पत्र जारी किया है। प्राधिकरण, इसमें दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों से प्राप्त लिखित, साक्ष्य-आधारित टिप्पणियों, सुझावों और फीडबैक पर ठीक से विचार करेगा और हितधारकों की प्रस्तुतियों पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने के बाद वैमानिक सेवाओं के लिए अंतिम टैरिफ आदेश जारी करेगा।

प्राधिकरण इस बात पर बल देना चाहेगा कि परामर्श प्रक्रिया की निर्धारित समय-सीमा निश्चित है। इस कारण से हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी टिप्पणियां और इनपुट हर हाल में इस परामर्शपत्र में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कर दें। इसके बाद प्राप्त टिप्पणियों पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त यह ध्यान देना आवश्क है कि ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(2) के संदर्भ में किसी नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ़ आदेश के अंतर्गत निर्धारित की गई टैरिफ़ की वर्तमान नियंत्रण अवधि के दौरान समीक्षा और उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, यदि प्राधिकरण जनहित में और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसा करना आवश्यक समझे।

अत: ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार **दिनांक 12 जून, 2026 के परामर्श पत्र संख्या 01/2026-27** पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण)
तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

ई-मेल : director-ps@aera.gov.in; rajan.gupta1@aera.gov.in प्रतिलिपि secretary@aera.gov.in

हितधारक परामर्श बैठक :	**29 जून, 2026**
हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख :	**13 जुलाई, 2026**
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख :	**23 जुलाई, 2026**

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां प्राधिकरण की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकीय, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं।

13 हितधारकों के परामर्श के लिए प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार

अध्याय 2: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए ट्रू-अप

2.3.1 तालिका 8 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के टैरिफ़ आदेश में निर्धारित किए अनुसार अतिरिक्त वसूलियों को कायम रखना।

अध्याय 3 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए ट्रू-अप

3.12.1 तालिका 9 के अनुसार वास्तविक आंकड़ों के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए यातायात को मानना।

3.12.2 **तालिका 33, तालिका 39** और **तालिका 41** के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए क्रमश: वैमानिक पूंजीगत व्यय, मूल्यह्रास, आरएबी को मानना।

3.12.3 **तालिका 46** के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए डब्ल्यूएसीसी को मानना।

3.12.4 **तालिका 84** के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए वैमानिक प्रचालन खर्च को मानना।

3.12.5 **तालिका 87** के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए वर्किंग कैपिटल (सक्रिय पूंजी) पर ब्याज को मानना।

3.12.6 **तालिका 90** के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए वैमानिक कर को मानना।

3.12.7 **तालिका 97** के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए गैर- वैमानिक राजस्व को मानना।

3.12.8 **तालिका 100** के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए वैमानिक राजस्व को मानना।

3.12.9 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि तक रूपए 239.10 करोड़ की कम वसूली **(तालिका 103 के अनुसार)** को मानना।

अध्याय 4 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए यातायात पूर्वानुमान

4.3.1 तालिका 109 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ पूर्वानुमानों को मानना।

4.3.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय चतुर्थ नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (यात्री, कार्गो और एटीएम) को ट्रूअप करना।

अध्याय 5: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

5.10.1 तालिका 182 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक परिवर्धनों को मानना।

5.10.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों, लागत कार्यक्षमता और औचित्य के आधार पर वैमानिक कैपेक्स को ट्रू-अप करना।

5.10.3 तालिका 186 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को अंगीकार करना।

5.10.4 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तिथि के आधार पर मूल्यह्रास को ट्रू-अप करना।

5.10.5 केआईए, बैगलुरू के लिए तालिका 188 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।

5.10.6 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को ट्रू-अप करना।

5.10.7 पैरा 5.3.382 में उल्लेख किए अनुसार कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से अपूंजीकृत परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय चतुर्थ नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के दौरान इसकी जांच की जाएगी।

5.10.8 केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम**, 2017** के अध्याय **V** के अनुसार निवेश कर जमा राशियों के लेखांकन की जांच करना और अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आवश्यक समायोजन करना।

अध्याय 6: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए पूंजी की भारित औसत लागत (डब्ल्यूएसीसी)

6.3.1 तालिका 192 में दिए गए विवरण के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए 11.99% डब्ल्यूएसीसी को मानना।

6.3.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों (या) भारतीय स्टेट बैंक के एक (1) वर्ष के औसत एमसीएलआर प्लस 50 बीपीएस (जो भी कम हो) के आधार पर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के ऋण की लागत को टू-अप करना।

अध्याय 7: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

7.3.1 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 194 के अनुसार मुद्रा-स्फीति की दरों को मानना।

अध्याय : 8 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन खर्च

8.3.1 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 226 के अनुसार वैमानिक प्रचालन खर्च को मानना।

8.3.2 पचंम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय कार्यक्षमता और औचित्य की शर्त पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर वैमानिक प्रचालन के खर्च को टू-अप करना।

अध्याय 9: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए गैर- वैमानिक राजस्व (एनएआर)

9.3.1 कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 237 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए गैर- वैमानिक राजस्व को मानना।

9.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को प्राधिकरण द्वारा तालिका 237 में यथा प्रस्तावित न्यूनतम सीमा तक टू-अप करना।

अध्याय 10: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कर

10.3.1 तालिका 240 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कर को मानना।

10.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय, सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वैमानिक कर की राशि को उपयुक्त ढंग से टू-अप करना।

अध्याय 11: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

11.3.1 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए के लिए सेवा की गुणवत्ता के कारण कुल राजस्व अपेक्षा में किसी भी समायोजन को न मानना।

11.3.2 बीआईएएल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरू में रियायत करार में निर्धारित कार्यनिष्पादन मानकों का पालन किया जाता है और यदि पैरा 11.2.11 में उल्लिखित अंतिम आदेश के अनुसरण में अधिसूचित कार्य निष्पादन मानक लागू हो गए हैं तो सेवा गुणवत्ता के संबंध में इन मानकों का अनुपालन किया जाएगा।

अध्याय 12 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा

12.5.1 बीआईएएल के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 249 के अनुसार कुल राजस्व अपेक्षा और वाईपीपी को मानना।

12.5.2 बीआईएएल को इस परामर्श पत्र के जारी होने के 7 दिन के भीतर वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (टैरिफ दर कार्ड) प्रस्तुत करने के लिए निदेश देना, जिसे हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

14 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

14.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार इस परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 13–प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

14.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

14.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 13 जुलाई, 2026 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
उड़ान भवन, **तृतीय तल**, **डी ब्लॉक**, **राजीव गांधी भवन**,
सफदरजंग हवाईअड्डा, **नई दिल्ली –110003.**

(अध्यक्ष)

1. STAKEHOLDERS' CONSULTATION TIMELINE

14.1 In accordance with the provision of Section 13(4) of the AERA Act, 2008, the proposals contained in the Chapter 13 – Summary of the Authority's proposals read with the relevant discussion in the other chapters of this Consultation Paper is hereby put forth for Stakeholders' Consultation.

14.2 For removal of doubts, it is clarified and explained that the contents of this Consultation Paper may not be construed as any Order or Direction by the Authority. The Authority shall pass an order, in the matter, only after considering the submissions of the stakeholders in response hereto and by making such decisions fully documented and explained in terms of the provisions of the Act.

14.3 The Authority invites written evidence-based feedback, comments and suggestions from stakeholders on the proposals made in this Consultation Paper, latest by XX.XX.XXXX.

Secretary,

Airports Economic Regulatory Authority of India,

3rd Floor, Udaan Bhawan,

Safdarjung Airport,

New Delhi – 110003

(Chairperson)